

प्रेषक,

रवि कुमार गुप्त,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमान् संयुक्त निबंधक,(न्यायिक),
(बजट), माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा - मान० जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

विषय:- पत्रांक संख्या-4333/IV h-16/Admin(A-4),दिनांकित 18.04.2022 के
मध्य चल व अचल सम्पत्ति का विवरण एवं स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदय,

विनम्रता के साथ निवेदन करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित पत्रांक संख्या-1432/IV h-16/Admin.A-IV,दिनांकित 03.12.2021 के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों से अपनी चल व अचल सम्पत्ति का विवरण माँगा गया था। इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि पैत्रिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में पारिवारिक सेटलमेंट को लेकर मेरे व मेरे सगे भाई स्व० श्री राकेश कुमार गुप्ता के मध्य विवाद था, जिसका पूर्ण रूप से निस्तारण नहीं हो पाया है। इसी दौरान मेरे सगे भाई स्व० श्री राकेश कुमार गुप्ता द्वारा पैत्रिक सम्पत्ति को बिना मुझे सूचना दिए अन्य को विक्रय कर दिया गया। इस सम्बन्ध में विवाद होता रहा। विगत कई वर्षों से मेरे सगे भाई स्व० श्री राकेश कुमार गुप्ता काफी बीमार थे तथा सिविल मुकदमों से बचने के लिए मेरे द्वारा विधिक कार्यवाही नहीं किया गया और अक्टूबर 2020 में मेरे भाई स्व० श्री राकेश कुमार गुप्ता की बीमारी के कारण मृत्यु भी हो गयी तथा पारिवारिक सेटलमेंट का निस्तारण पूरी तरह से नहीं हो पाया। कोरोना काल की वजह से अप्रैल 2021 में, मैं तथा मेरी पत्नी श्रीमती रीना गुप्ता बीमार हो गये, मैं भी एस० जी० पी० जी० आई०, लखनऊ में महीना भर भर्ती था। मेरी पत्नी श्रीमती रीना गुप्ता की इसी कोरोना काल में आकस्मिक मृत्यु हो गयी। जनपद लखनऊ के इरमाइलगंज, लखनऊ में मेरी पत्नी के नाम एक प्लॉट था, (जिसकी सूचना मेरे द्वारा पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय) को भेजी जा चुकी है। उक्त प्लॉट का नामांतरण की कार्यवाही अभी नहीं हो पायी है, इसकी वजह से मेरे मन में यह विचार आया कि नामांतरण की कार्यवाही होने के उपरान्त ही स्पष्ट रूप से चल व अचल सम्पत्ति की सूचना माननीय उच्च न्यायालय भेजी जाये।

उपरोक्त कारणों की वजह से मेरे द्वारा अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित समय पर नहीं भेजा जा सका, किन्तु अब मेरे द्वारा वर्ष 2018 व 2020 का सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पत्ति के विवरण तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय को भेजा जा रहा है।

अतः श्रीमान्जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त कारणों से चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने के लिए इस स्पष्टीकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

सादर

भवदीय,
02/05/22

दिनांक 02.05.2022

(रवि कुमार गुप्त)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।